

अनुपालनी की शर्तें ।

- (1) अलग प्लान, मुद्रांकन के विषयों को स्वीकृति सम्मिलित किया नहीं करवाये है ।
- (2) किसी भी प्रकार का विवाद (आर्थिक, राजस्वीय, जमीनगत या अन्य) होने की स्थिति में नियम का कोई अन्वयमान नहीं होगा तथा न ही नियम किसी जमीनपूरी को लिए उपलब्धता के अंग है ।
- (3) प्लान निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से आगे तक नियम की शर्तों का पालन ।
- (4) स्वीकृत प्लानों के विपरीत निर्माण कार्य होने पर स्वीकृत प्लान ही लागू करवायी है ।

एकल फ्लिड्यूब्ली प्लैणल आवासीय प्रोजेक्ट्स

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

पृष्ठ +1
आवासीय

अवधन क्रमांक 531 दिनांक 22/03/2020
 मंत्री जयराज दास श्री मोहम्मद जी
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009
 धारा 104 (2) (घ) के तहत आवासीय P.M.C. के-607 चांदवाड़ा भाग
 में प्लान निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश
 कर जांच/वीक्षण राशि रुपये 7524/- जमा
 जारी रसीद संख्या 9069/2923/8324
 दिनांक 22/03/2020 जमा करा दी है ।

904287/2020
 सहायक नगर निगम
 नगर निगम, जोधपुर

जयराज
9928286723